मध्यप्रदेश विधान सभा

दिसम्बर, 2015 सत्र

दैनिक कार्य सूची

सोमवार, दिनांक 7 दिसम्बर, 2015 (अग्रहायण 16, 1937)

समय 10.30 बजे दिन

1. शपथ

उप चुनाव में, निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 171- देवास से निर्वाचित सदस्य, श्रीमती गायत्री राजे पवार शपथ लेंगी, सदस्यों की नामावली में हस्ताक्षर करेंगी और सभा में अपना स्थान ग्रहण करेंगी.

2. निधन का उल्लेख

निम्नलिखित के निधन संबंधी उल्लेख :-

(1) डॉ. अवधेश प्रताप सिंह, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा,
(2) श्री गंगूराम बघेल, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा, तथा
(3) श्री अशोक सिंघल, नेता, विश्व हिंदू परिषद.

3. प्रश्नोत्तर

पृथकत: वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

4. अध्यादेशों का पटल पर रखा जाना

सुश्री कुसुम सिंह महदेले, विधि और विधायी कार्य मंत्री, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 की अपेक्षानुसार –
(1) डॉ. बी.आर. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय अध्यादेश, 2015 (क्रमांक 4 सन् 2015),
(2) मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2015 (क्रमांक 5 सन् 2015); तथा
(3) मध्यप्रदेश वेट (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2015 (क्रमांक 6 सन् 2015)
पटल पर रखेंगी.

5. जुलाई, 2015 सत्र के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों का संकलन पटल पर रखा जाना.

6. नियम 267-क के अधीन जुलाई, 2015 सत्र में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन पटल पर रखा जाना.

7. राष्ट्रपति/राज्यपाल की अनुमति प्राप्त विधेयकों की सूचना.

8. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) सुश्री हिना कांवरे, सदस्य, बालाघाट जिले के लांजी क्षेत्र स्थित काष्ठ डिपो में ई-पेमेंट व्यवस्था के कारण जलाऊ लकड़ी का अभाव होने से उत्पन्न स्थिति की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगी.

(2) श्री दिलीप सिंह शेखावत, सदस्य, ग्रेसिम इण्डस्ट्रीज बिरला ग्राम नागदा द्वारा श्रमिकों के लिए सेवा निवृत्त आयु संबंधी शासन के आदेश का पालन न करने से उत्पन्न स्थिति की ओर श्रम मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

-2-

9. अनुपस्थिति की अनुज्ञा

निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 9-अटेर से निर्वाचित सदस्य, श्री सत्यदेव कटारे तथा निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 118- गोटेगांव (अ.जा.) से निर्वाचित सदस्य, डॉ. कैलाश जाटव को विधान सभा के दिसम्बर, 2015 सत्र की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा.

10. सभापति तालिका की घोषणा.

11. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री गौरीशंकर बिसेन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री, मध्यप्रदेश कृषि-उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2015 (क्रमांक 14 सन् 2015) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

(2) श्री रामपाल सिंह, राजस्व मंत्री, मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2015, (क्रमांक 15 सन्2015) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

(3) श्री उमाशंकर गुप्ता, उच्च शिक्षा मंत्री, मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) द्वितीय संशोधन विधेयक, 2015 (क्रमांक 16 सन् 2015) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

(4) श्री भूपेन्द्र सिंह, परिवहन मंत्री, मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2015 (क्रमांक 17 सन् 2015) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

भगवानदेव ईसरानी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

भोपाल :
दिनांक : 6 दिसम्बर, 2015